न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–282/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/282

अपीलाण्ट :–

01. कुपाराम पुत्र केसा,

02. भंवरलालपुत्र केसा, दोनों जातियान – माली, निवासीगण – एफ.सी.आई. गोदाम के सामने, जालोर, तहसील व्र, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

01. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी लकमाराम जी, जाति– माली, फौत के का.मु.

1/1 लखमाराम पुत्र सरूपा माली बेरा अकावा जालोर

1/2 श्रीमती जोजू पुत्री लखमाराम पत्नी भगाराम माली बेरा अकावा जालोर

1/3 वेलाराम पुत्र लखमाराम माली बेरा अकावा जालोर

1/4 सुजाराम पुत्र लखमाराम माली के फौत के का.मु.

1/4/1 नितू पुत्री सुजाराम माली बेरा अकावा जालोर

1/5 श्रीमती मोरकी पुत्री लखमाराम पत्नी पारसाराम माली गोडी जी जालोर

1/6 रमेश कुमार पुत्र लखमाराम माली माली बेरा अकावा जालोर

02. ओबाराम पुत्र श्री रणछोडराम, जाति रेबारी, निवासी– इन्द्रापुरी कॉलोनी, जालोर, तहसील व जिला जालोर।

03. ग्राम पंचायत लेटा जरिये सरपंच

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर बमुकदमा म्युटेशन अपील संख्या 4/2017 अपीलान्ट श्रीमती लक्ष्मी बनाम कुपाराम वगैरा, में निर्णय दिनांक 28.06.2018

उपस्थिति :–
1. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, श्री राधाकिशन सिरवी, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री घनश्यामसिह राजपुरोहित , विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

23/09/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

:: <u>निर्णय</u> ::

दिनांकः– 23/10/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर बमुकदमा म्युटेशन अपील संख्या 4/2017 अनवान श्रीमती लक्ष्मी बनाम कुपाराम वगैरा, में निर्णय दिनांक 28.06.2018 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

विद्वान् अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी जालोर का अपीलाधीन आदेश जैर अपील दिनांक 28.06.2018 पूर्ण रूप से गलत, सुस्पष्ट विधि के विपरित मनमाना एवम् त्रुटीपूर्ण है। विद्वान अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ने ग्राम पंचायत लेटा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 19 को खारिज करने में भारी कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने महत्त्वपूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों पर गौर किए बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो किसी भी रूप में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। इस आधार पर ही विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय खारिज किये जाने एवम् विवादित नामान्तरकरण बहाल रखे जाने योग्य है।

विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने म्याद बाहर प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद सुमार कर उसका आदेश करने में भारी कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है। विद्वान अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील स्वीकृत रूप से करीब 27–28 वर्षो उपरान्त प्रस्तुत हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रथम अपील के साथ प्रस्तत प्रार्थना–पत्र अनतर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम में किसी तरह का कोई कारण नहीं बतलाया गया है। इस संबंध में वकील अपीलाण्ट ने न्यायिक दृष्टांत आरआरटी2016(2) पेज सं. 1139, आरआरटी 2021(1) पेज सं. 385 पेश की । जिससे रेस्पोडेन्ट की प्रथम अपील को अन्दर म्याद माना जावें और उसका निस्तारण गुणावगुण पर किया जावें। विधि का यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि किसी भी नामान्तरकरण के विरूद्ध निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर ही अपील प्रस्तुत की जा रही है और यदि कोई अपील निर्धारित अवधि के उपरान्त प्रस्तुत की जा सकती है और यदि कोई अपील निर्धारित अवधि के उपरान्त प्रस्तुत की जाती है. तो उसको पेश करने में हुई देरी का समुचित व संतोषजनक कारण बतलाया जाना आवश्यक है। मौजुदा प्रकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम को पढने मात्र से यह बखुबी स्पष्ट है

23/10/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का किसी तरह का कोई समुचित व संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य व विधि पर गौर किए बिना ही, रेस्पोडेन्ट की अपील को अन्दर म्याद मानकर अपीलाधीन नामान्तरकरण को खारिज करने में भारी कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है। इस आधार पर भी विद्वान अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त व मन्सुख किये जाने योग्य है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयो ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्रों पर विचार करते हुए समुचित कारण की विवेचना की है एवम् म्याद के बिन्दु पर यह मत प्रतिपादित किए है कि न्यायालय का यह प्रथम दायित्व है कि उनके समक्ष कोई अपील या निगरानी प्रस्तुत होने पर यह सर्वप्रथम इस तथ्य को examine करें कि उनके समक्ष प्रस्तुत होने वाली अपील या निगरानी निर्धारित अवधि में प्रस्तुत हुई है अथवा नहीं ? और यदि नहीं हुई है, तो इसका समुचित कारण न्यायालय के समक्ष आया है अथवा नहीं। मौजुदा प्रकरण में रेस्पोडेन्ट ने अपनी प्रथम अपील में एक शब्द तक का कारण नहीं बतलाया है कि उन्होनें नामान्तरकरण संख्या 19 को 27–28 वर्षों तक चुनौती क्यों नही की और न ही उन्होनें ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर विश्वास कर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय उस निष्कर्ष पर पहुंचे की रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्दर म्याद है या उसका निस्तारण गुणावगुण पर किया जा सकता है ? इन सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं और विधि के सुस्पष्ट सिद्धान्तों को नजरअन्दाज कर विद्वान अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अन्दर म्याद मानकर, अपील को स्वीकार कर, विवादित नामान्तरकरण को खारिज करने में भारी कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है। वास्तव में इतने वर्षों की देरी को किसी भी रूप में माफ नहीं किया जाना चाहिये था। रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र में यह भी नहीं बतलाया है कि उन्हें किस दिन या दिनांक को म्युटेशन संख्या 19 की जानकारी हुई। इस आधार पर ही विद्वान अधिनस्थ न्यायालय को अपील खारिज की जानी चाहिये थे। परन्तु विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधि के सुस्पष्ट सिद्वान्तों को अनदेखा करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए इस अपील को अन्दर म्याद मानकर प्रथम अपील स्वीकार करने में भारी कानुनी व वाक्याती भूल की है। इस आधार पर भी विद्वान् अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त व मनसुख किये जाने योग्य है।

विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपील दिनांक 01.05.2017 को प्रस्तुत की गई एवम् दिनांक 01.05.2017 को ही रेस्पोडेन्ट को तलब किये जाने का आदेश दिया गया एवम् प्रकरण दिनांक 23.06.2017 के लिये मुकर्रर किया गया, परन्तु उक्त आदेश के बावजूद भी अपीलान्टस् / रेस्पोडेन्टस् को नोटिस जारी नहीं किये गये। इसके उपरान्त पत्रावली दिनांक 23.06.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प लेटा में पेश हुई एवम् पक्षकारान् के बीच राजीनामा नहीं होने का आदेशिका में अंकित किया गया। जबकि इस दिन तक न तो अपीलान्ट कुपाराम वगैरा को अपील के नोटिस ही जारी किये और न ही राजस्व लोक अदालत के कोई नोटिस जारी किये गये। इसके उपरान्त दिनांक 13–11–2017, 20.12.2017. 24.01.2018, 21.02.2018, 21.03.2018 को अपीलान्ट श्रीमती लक्ष्मी को रेस्पोडेन्टस् की तलबी का तलबाना पेश

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

करने के आदेश दिये गये, परन्तु अपीलान्ट श्रीमती लक्ष्मी द्वारा न तो तलबाना पेश किया और न ही रेस्पोडेन्ट / अपीलान्ट कृपाराम वगैरा को नोटिस जारी कर प्रस्तुत अपील की सूचना ही दी गई। दिनांक 21.03.2018 को तलबाना पेश करने का आदेश देते हुए विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा तारीख पेशी 10.05.2018 को मुकर्रर की, परन्तु तारीख पेशी 10.05.2018 को किसी तरह की कोई कार्यवाही किये बिना ही सीधे ही पत्रावली दिनांक 28.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखी जाकर आदेश जैर अपील सुना दिया गया। जो कि पूर्ण रूप से विधि के विपरित है।

विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि जैसे ही उनके समक्ष प्रथम अपील पेश हुई उसकी जांच कर म्याद के बिन्दु का निस्तारण करने के लिये रेस्पोडेन्ट / अपीलान्ट को नोटिस जारी करते। परन्तु मौजुदा प्रकरण में न तो कभी रेस्पोडेन्ट / अपीलान्ट को नोटिस जारी किये और न ही कभी सुनवाई का अवसर ही दिया गया। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बार–बार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को तलबाना पेश करने का आदेश दिये जाने के पश्चात् भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती लक्ष्मी द्वारा इसकी पालना नहीं की और न ही कभी अपीलान्ट कुपाराम वगैरा को नोटिस देकर इस हेतु सूचित किया। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट / रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित करने में भारी कानुनी भूल की है। विधि का यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुणों पर किया जाना चाहिये, परन्तु न तो कभी मौजुदा प्रकरण में अपीलान्ट को नोटिस जारी किये और न ही कभी सुनवाई का अवसर ही दिया गया। विद्वान अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा म्याद बाहर अपील को स्वीकार करते हुए नामान्तरकरण संख्या 19 खारिज करने में भारी कानुनी वाक्याती भूल की है। इस आधार पर भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण स्थिति को छिपाकर विवादित भूमि के वास्तविक खातेदार को यानि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं देकर, गलत रूप से अपने पक्ष में आदेश पारित करवाया है और इस आदेश की आड में अपीलान्ट को ब्लेकमेल किया जा रहा है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय को आदेश जैर अपील पारित करने में पूर्व अपीलान्ट को विधिवत रूप से सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था, परन्तु विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलान्ट को नोटिस दिये आदेश जैर अपील पारित करने में भारी कानूनी भूल की है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित है। इस आधार पर भी विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी प्रथम अपील में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के जरिये अपना हिस्सा क्लेम किया है, जबकि मौजुदा प्रकरण में विवादित भूमि स्व. केसा जी के संयुक्त परिवार की सम्पत्ति थी। स्व. केसा जी के संयुक्त परिवार में उनकी पत्नी व दो पुत्र अपीलान्ट कुपाराम व भंवरलाल ही पुत्र सदस्य व सर्वाईवर थे। जैसे ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का विवाह हुआ, वे स्व. केसा जी के संयुक्त परिवार की सदस्य नहीं रही

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

और वह अपने पति के संयुक्त परिवार की सदस्य व सर्वाईवर हो गई। स्व. केसा जी का परिवार हिन्दु मिताक्षरा विधि से गवर्न होता है और मितासरा कोपार्सनरी विधि के अनुसार विवाहिता पुत्री संयुक्त परिवार की सदस्य नहीं होती। वर्ष 2005 से संशोधित हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम प्रभाव में आने के बाद विवाहिता पुत्री को पिता की सम्पत्ति के पुत्रों के बराबर अधिकार दिये गये है, परन्तु मौजुदा प्रकरण में केसा जी का देहान्त 27–28 वर्षो पूर्व ही हो गया और जिस दिन स्व. केसा जी का देहान्त हुआ उस दिन मात्र अपीलान्ट ही कोपार्सनर सदस्य थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को स्व. केसा जी की संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था व है। इन सभी तथ्यों पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने किसी तरह का कोई गौर ही नहीं किया और अपनी मनमर्जी अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित कर विवादित नामान्तरकरण को अपास्त करने में भारी कानुनी एवम् वाक्याती भूल की है। इस आधार पर भी विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश जैर अपील निरस्त व मन्सुख किये जाने योग्य है।

मौजुदा प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए यह वखुबी स्पष्ट है कि विद्वान अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय किसी भी रूप में कायम रखे जाने योग्य नहीं है और हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य है।

लिहाजा अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि इसे स्वीकार किया जावें। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2018 को निरस्त व मन्सुख फरमाया जावें एवम् ग्राम पंचायत लेटा तहसील व जिला जालोर के नामान्तरकरण संख्या 19 को बहाल रखे जाने का आदेश फरमाया जावें। अन्य उचित आदेश जो इस मामले में अपीलान्टस् के पक्ष में व रेस्पोडेन्टस् के विरूद्ध पारित करना आवश्यक व न्यायसंगत हो, वह पारित फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

मौजा–जालोर–बी के पुराने खसरा नम्बर–434 रकबा–22 बिघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर–436 रकबा 33 बीघा 12 बिस्वा की भूमि में से 1/4 हिस्सा केसा पुत्र अन्ना, कौम माली, निवासी जालोर की खातेदारी कब्जा काश्त का आया हुआ है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर–4030 रकबा 0. 90 हैक्टर, खसरा नम्बर–4031 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर–4032 रकबा 1.02 हैक्टर, खसरा नम्बर– 4033 रकबा 1.08 हैक्टर तथा खसरा नम्बर–4035 रकबा 0.93 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–4036 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–4037 रकबा 0. 81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–4038 रकबा 0.89 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–4040 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–4041 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–4047 रकबा 0.01 हैक्टेयर बने है।

केसा पुत्र अन्ना की मृत्यु लगभग 28 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा केसा की पत्नी पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी, जिससे केसा के पिछे वारिस पुत्रगण–कुपाराम, भंवरलाल व पुत्री अपीलान्ट लक्ष्मी जीवित है। फिर भी केसा की पुश्तैनी इस भूमि का म्यूटेशन सं. 19 ग्राम पंचायत लेटा ने भरते समय मुझ अपीलान्ट लक्ष्मी का नाम उपरोक्त म्युटेशन में कुपाराम

23/10/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

व भंवरलाल से मिलावट करके नहीं लिखा गया है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने न्यायिक नजीर आरआरटी 2009(2) पेज 1281 पेश की। जबकि केसा की उक्त पुश्तैनी खातेदारी भूमि में केसा की मृत्यु के बाद केसा के हिस्से की खातेदारी भूमि में केसा के सभी वारिसान रेस्पोडेन्ट कुपाराम, भंवरलाल व अपीलान्ट लक्ष्मी का समान रूप से हक निहित हो गया है।

उपरोक्त संयुक्त पुश्तैनी खातेदारी भूमि से रेस्पो. को वंछित रखने की नियत से अपीलाण्ट संख्या–1 कुपाराम ने उपरोक्त भूमि में से 0.42 हैक्टेयर भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट सं. 2 ओबाराम पुत्र रणछोडाराम, जाति रेबारी, निवासी जालोर को बेचान कर दी है। जिससे उन्हें भी अपील में पक्षकार बनाया गया है। म्यूटेशन ग्राम पंचायत लेटा द्वारा गलतरूप से स्वीकृत किया हैं तथा म्युटेशन कौन से सन् में स्वीकृत किया गया है, म्युटेशन में कहीं अंकित नहीं है।

केसा की मृत्यु बाद केसा की उपरोक्त पुश्तैनी खातेदारी भूमि की उपज का रेस्पो. का हिस्सा अपीलाण्ट कुपाराम व भंवरलाल हर वर्ष देते आ रहे हैं। रेस्पो. शादीसुदा होने से सिदोडिया बेरा लाल भाखरी जालोर में रहती है, जिससे उनके हिस्से की काश्त अपीलाण्ट संख्या–1 व 2 करके उनके हिस्से की उपज का हिस्सा हर वर्ष केसा की मृत्यु के बाद रेस्पो. को देते आ रहें थे। लेकिन अब अपीलाण्ट संख्या–1 कुपाराम ने उक्त भूमि को बेचान करने की मुझ रेस्पो. को धमकी दी तथा कहा कि उपरोक्त भूमि में से कुछ भूमि तो मैंने बेचान कर दी है तथा मैं और भूमि को बेचान करूंगा। क्योंकि तुम्हारा नाम हमने म्युटेशन भरते समय नहीं लिखवाया था। जिससे अब उक्त पुश्तैनी भूमि में तुम्हारा कोई हक हिस्सा नहीं आता है।

7. प्रकरण में उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।वकील अपीलाण्ट का कथन है कि यह अपील नामांतरणकरण तस्दीक होने के 27 वर्ष उपरांत प्रस्तुत की गई है जिसक विलम्ब का कोई औचित्य भी नही दर्शाया है। वकील अपीलाण्ट ने न्यायिक उद्धरण आरआरटी 2016(2) पेज सं. 1139 भैरूमल बनाम गणेशलाल तथा आरआरटी 2021(1) पेज सं. 385 ए.सी.नायक बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. द्वारा अपील प्रस्तुंत करने में हुए विलम्ब को प्रशमित नही करने का आधार बताया। वकील रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में जन्म से ही पुत्री का अधिकार है इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2020(2) पेज 999 तथा आरआरटी 2009 पेज सं. 1280 पेश करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है इसलिए निर्णय को यथावत रखा जावे।

8. पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस पर मनन किया। तदानुसार इस न्यायालय का अभिमत है कि मृतक केसा की पैतृक सम्पति में पुत्रियां का हक है । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 माननीय न्यायालय ने भी इसको माना है। प्रकरण में लिमिटेशन के बिन्दु पर 27 वर्ष पूर्व दर्ज म्युटेशन की कार्यवाही की जानकारी रेस्पोडेण्ट लक्ष्मी को पूर्व में होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नही

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

किया गण है एवं रेस्पो को जिस दिनांक से जानकारी हुई तभी से लिमिटेशन की गणना होगी। अतः अपीलाण्ट का एतराज मान्य नही है। प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर का निर्णय दिनांक 28.06.2018 विधि सम्मत पारित किया गया है । तदानुसार यह अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारीज की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर के प्रकरण संख्या 04/2017 निर्णय दिनांक 28.6.2018 बअनवान श्रीमती लक्ष्मी बनाम कुपाराम वगैरा के निर्णय को यथावत रखा जाता है।एवं निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार, जालोर मृतक केसा के जायंदा वारिसानकी जांच करे तथा अपीलाण्ट को भी अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करें। एवं उसके बाद विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही करने की कार्यवाही करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 23.10.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त पाली (राज.)